श्री शिव रतन प्रसाद, चिरकुंडा,

लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स रतन कोल सप्लायर प्रा. लिमिटेड, प्रो0–श्री प्रशांत कुमार, पिता–श्री शिव रतन प्रसाद, क्वाटर नंबर 29/2–2, आलडांगा हाउसिंग कॉलोनी, चिरकुंडा निरसा कम चिरकुंडा, जिला–धनबाद, झारखंड द्वारा सहरसा सुरसर नदी यूनिट–03 बालू घाट (सहसौल रेत घाट ब्लॉक–01, सहसौल–01 रेत घाट ब्लॉक–02 और ननौती रेत घाट ब्लॉक–03), ग्राम–सहसौल और ननौती, अंचल–सोनबरसा, जिला–सहरसा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 28.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे सहरसा जिला के अंचल कार्यालय, सोनबरसा, जिला–सहरसा में लोक–सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2387/2023, dated 11.05.2023 के आलोक में श्री संजय कुमार निराला, उप विकास आयुक्त, सहरसा (जिला पदाधिकारी, सहरसा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 28.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, सोनबरसा, जिला–सहरसा में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं दैनिक जागरणके माध्यम से दिनांक 27.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संषोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देष्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (98 नं0)

का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पष्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री सोनू श्रीवास्तव, पिता–श्री राजू श्रीवास्तव, ग्राम–धनौती, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा बताया गया कि यदि जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण सलाहकर द्वारा बताया गये उपायों को अनुपालन किया जाता है तो हमें बालू खनन से कोई आपत्ति नहीं है।
2.	श्री बरूण शर्मा, पिता–श्री रामजी शर्मा, ग्राम–अगजा,जिला–सहरसा।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन परियोजना में स्थानीय लोगों किस प्रकार का रोजगार मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा, जो कम्प्यूटर चलाना जानते है उनको चलान काटने का काम दिया जायेगा, जो गाड़ी पोकलेन मशीन चलाना जानते है, उनको पोकलेन के चालक का काम, छोटी गाड़ी का चालक, माली, गार्ड इत्यादि का काम दिया जायेगा इत्यादि।
3.	श्री जितेन्द्र सिंह, पिता–श्री हरिशंकर सिंह, ग्राम–सहसौल, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा पूछा गया कि यदि खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु यदि कार्य नहीं किया जाता है तो क्या किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय नहीं किये जाते हैं तो अचंलाधिकारी या जिला में खनन पदाधिकारी या जिला पादाधिकारी को शिकायत की जा सकती है। जिसपर उचित कार्रवाई की जायेगी।

खनिज विकास पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल

मंत्रालय,
MG-2016)
M-2020) के

इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। उन्होने उम्मीद ज़ताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

सेन कुमार
25/9/23
क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णियाँ
बि.रा.प्र.नि.पर्षद

उप विकास आयुक्त,
सहरसा

उपस्थिति सूची

मेसर्स रतन कोल सप्लायर प्रा. लिमिटेड, क्वार्टर नंबर 29/2-2, आलडांगा हाउसिंग कॉलोनी, पोस्ट-चिरकुंडा निरसा कम चिरकुंडा, जिला-धनबाद, झारखण्ड द्वारा सहरसा सुरसर नदी यूनिट-03 बालू घाट (क्षेत्रफल-9.80 हेक्टेयर) मौजा-सहसौल और ननौती, अंचल-सोनबरसा, जिला-सहरसा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.08.2023 को अपराह्न 3:00 बजे अंचल कार्यालय, सोनबरसा, जिला-सहरसा में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Sanjay Kr. Nirala	DDC	[signature]
2.	Anand Prakash	DMO, Saharsa	[signature] 28/08/2023
3.	Amit Kumar	B.D.O Sonbarsha	[signature] 28/08/23
4.	Digvijay Singh	A.S.O, BSPCB, Purnea	[signature] 28/08/2023
5.	Rajesh Kumar Vishwas	Environment Consultant PGM Solution Noida (UP.)	Rajesh
6.	सुबोध प्रदीपदेव	सहसौल	सुबोध प्रदीपदेव
7.	अच्युत पंडित	सहसौल	[signature]
8.	सुरेश राजक		
9.	Sonu Srivastava	ननौती	Sonu Srivastava

10.	Bhupendra Singh	Sasol	Bhpd Singh
11.	जितेन्द्र सिंह	ननौती	जितेन्द्र सिंह
12.	सुमित कुमार	ननौती	सुमित कुमार
13.	पवनी देवी		
14.	संजय कुमार राम	मोकमा पंचायत	Sanjay Kr Ram
15.	शांति देवी		
16.	Abhinav Rathor	सहसौल	ARathor
17.	Sahin Parvin	शाहपुर पंचायत	
18.	Anu Devi	सोहा	Anu devi
19.	मो० सनाउद्दीन	मंगलपार	मो० सनाउद्दीन
20.	चन्द्रकांत राय	रघुनाथपुर	[illegible]
21.	सन्तोष यादव	(रघुनाथपुर) ननौती	सन्तोष यादव
22.	जालिम खान	ननौती	जालिम खान
23.	Santosh Singh	Nannati	S Singh.
24.	Parmodh Kumar	Sahsol	P.Kumar.

25.

25.	राजेश कुमार	[illegible]	Ray
26.	Sujeet Kumar	"	Sujeet Kr
27.	ज्योतिष कुमार	Indus Mining, Patna.	Jyotish Kr.
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			